सीबीएसई/डीआईआर./एसई./प2020 **24.07.2020**

अधिसूचना

सत्र 2020-2021 के लिए कौशल पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना

इस कार्यालय की अधिसूचना सं. 62/2020 दिनांक 19.06.2020 के अनुक्रम में, बोर्ड के सभी संबद्ध विद्यालयों के ध्यान में यह लाया जाता है कि सत्र 2020-2021 के लिए कौशल विषयों को आरंभ करने के लिए आवेदन हेतु अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

जिन विद्यालयों ने सत्र 2020-2021 से कक्षा छह से ग्यारह तक कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है सीबीएसई की वेबसाइट (http://cbseacademic.nic.in/skill-education.html) में उल्लिखित लिंकों का प्रयोग करते हुए अपने आवेदन ऑनलाइन 31 अगस्त 2020 तक प्रस्तुत कर दें।

किसी अन्य जानकारी के लिए, विद्यालय संयुक्त सचिव, कौशल शिक्षा विभाग, सीबीएसी से ई-मेल के माध्यम से skilleducation.cbse@gmail.com अथवा jsse.cbse@gmail.com. पर संपर्क कर सकते हैं।

Biswajit Saha

(डा. विश्वजीत साहा)
निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)

प्रतिलिपि:- नीचे निर्दिष्ट किये गये संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थाओं के प्रमुखों को उनके अधिकार-क्षेत्र के सभी संबंधित विद्यालयों को सूचना का प्रसार करने के अनुरोध के साथ प्रेषित:-

01. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इंस्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016
02. आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा - 201309
03. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054
04. निदेशक जन अनुदेशन (विद्यालय) संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-9, चण्डीगढ़-160017
05. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक सिक्किम-737101
06. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर - 791111
07. शिक्षा निदेशक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर -744101
08. निदेशक, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसईएसएस प्लाज़ा, समुदाय केंद्र, रोहिणी
09. अपर सेना शिक्षा महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
10. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना), एफडीआरसी भवन सं. 202, शंकर `विहार (एपीएस के समीप), दिल्ली कैंट-110010
11. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीयअधिकारी, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अनुपालन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों मे बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को प्रेषित किया जाए।
12. बोर्ड के सीओई के सभी निदेशक/प्रमुख/प्रभारी, इस अनुरोध के साथ कि वे सूचना का प्रचार-प्रसार करें।
13. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, सीबीएसई
14. प्रभारी आईटी एकक, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट पर रखा जाए।
15. जनसंपर्क अधिकारी, सीबीएसई
16. अध्यक्ष, सीबीएसई के निजी सचिव
17. सचिव, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
18. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
19. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
20. निदेशक (सीटीईटी) के वरिष्ठ निजी सचिव
21. निदेशक (एडुसेट) के वरिष्ठ निजी सचिव
22. निदेशक (शैक्षणिक), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (कौशल शिक्षा), सीबीएसई के वरिष्ठ निजी सचिव

निदेशक (प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा)